संख्या 26 / 2024/1222/ सत्रह-म-2024-17-1099/126/2023

प्रेषक,

हरीश कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ :दिनांक: 07 अक्टूबर, 2024

विषय: सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख के सापेक्ष रू0 50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-296/नि0शा0/2024-25 दिनांक 25 जुलाई, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम योजनान्तर्गत एरेटर सिस्टम की प्रति इकाई लागत रू0 0.75 लाख जिसमें सामान्य महिला मत्स्य पालकों को 50 प्रतिशत की दर से अनुदान अनुमन्य है, के आधार पर 261 एरेटर सिस्टम हेतु प्रशासनिक व्यय सहित (रू0 98.00 लाख एरेटर सिस्टम की स्थापना हेतु अनुदान = रू0 98.00 लाख + प्रशासनिक व्यय हेतु रू0 2.00 लाख) अर्थात कुल रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम योजनान्तर्गत मानक मद 20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त हेतु निर्धारित धनराशि रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
4. यह भी सुनिश्चित करें कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

5. अवमुक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा।
6. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।
7. धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।
8. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3 - उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या- 17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 101- अन्तर्देशीय मछली पालन,04- मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0402- सघन मत्स्य पालन हेतु एरेशन सिस्टम, 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- **E-1-108-X-2024-25**-दिनांक: **12-8-2024** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Harish Kumar
Ashok
Date: 04-10-2024 16:23:52

(हरीश कुमार)
अनु सचिव ।

संख्या 26 /2024 /1222 (1) सत्रह-म-2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (सिविलआडिट) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
4. सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
7. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।